न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 28/2025

मुकेश कुमार पुत्र नेतराम आयु 48 वर्ष जाति ब्रहामण, निवासी गौरीर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

2. श्रवण कुमार पुत्र नेतराम जाति ब्रहामण, निवासी गौरीर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—तरबीती रेस्पोडेन्ट—

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू दिनांक 12.03.2024 मिसल संख्या 33/2023 उनवानी सरकार बनाम मुकेश वगैरह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः—

1. श्री यशवीर लाम्बा, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 18.7.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि हलका पटवारी गौरीर द्वारा प्रार्थी/अपीलांट व तरबीती रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक झूठी रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2470/1923 रकबा 17.32 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ के रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलान्ट को पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लेने बाबत नोटिस गलत रूप से दिया गया जिसका अपीलांट द्वारा जवाब देने के बाद अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये बिना अपीलांट की जानकारी के दिनांक 12.03.2024 को अपीलांट को अतिक्रमी

घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किये गये। अदालत मातहत द्वारा उक्त आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई को अवसर नही दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अपीलान्ट व तरबीती रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि पर कभी कोई अतिक्रमण नही किया गया है। उक्त भूमि अपीलांट के पिता नेतराम की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1922 राजकीय भूमि के सींव जोड़ स्थित है। उक्त भूमि अपीलांट के पिता द्वारा 30 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। उसी समय अपीलांट के पिता ने उक्त भूमि के चारदिवारी कर अपने आवासीय मकानात का निर्माण कर लिया था। अपीलांट भी उसी मकान में रिहायश करता आ रहा है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो पक्का निर्माण बताया गया है वह अपीलांट के पिता द्वारा निर्मित है। पटवारी हलका द्वारा अतिक्रमण की जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह बिना मौके पर गये ही बिना नाप जोख के मौके की यथास्थिति का अवलोकन किये मात्र रिकार्ड के आधार पर कार्यालय में बैठे ही तैयार की गई है। प्रकरण में तरतीबी रेस्पोडेन्ट अपीलांट का भाई है जो गांव में नही होने के कारण उसे तरतीबी रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के आदेश दिनांक 12.03.2024 को निरस्त किया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट को गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट के पिता की खातेदारी भूमि राजकीय भूमि के सींव जोड़ है। जो अपीलान्ट के पिता ने करीब 30 वर्ष पहले खरीदी थी उसी समय चारदिवारी का निर्माण कर पक्के मकान आदि बनाये थे अपीलान्ट द्वारा कोई नया निर्माण नही किया गया है। मौके पर प्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी भूमि की नपती करवाई जावे। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 को अपास्त किया जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिसकी किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने यहां विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब

प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय और न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2024 मुकदमा संख्या 33/2023 उनवानी सरकार बनाम मुकेश कुमार वगैरह अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेतड़ी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.7.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।